न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.) दांडिक प्रकरण क्रमांक 1026/2014

संस्थि दिनांक-05.11.2014

म.प्र.शासन	द्वारा	आरक्षी	केन्द्र	मलाजखंड .	<u>~</u>	 अभियोजन
				विस	ੱ ਫ਼	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		`		10 TC	<u> </u>	

देवसिंह पिता माहेनसिंह, उम्र–45 वर्ष,

निवासी-टिंगीपुर, थाना मलाजखंड,

जिला बालाघाट म.प्र. अरोपी

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक—13.<mark>12.2014</mark> को घोषित) <u>निष्कर्ष</u>

अभियुक्त के विरूध्द आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधि. के आरोप में दोषसिद्ध टहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधि. के आरोप में दोषसिध्दि पर न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास एवं 500 / – रूपये (शब्दों में पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा शराब विधिवत नष्ट की जावे।

बैहर

(सिराज अली)

दिनांक—13.12.2014

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला–बालाघाट